

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री नवाब सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विजयपुरा, बस्सी जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मछारासाथ जिला बांसवाडा किया गया था जिसके विरुद्ध श्री नवाब सिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17052/2019 नवाब सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 17052/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री नवाब सिंह के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः श्री नवाब सिंह माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयपुरा, बस्सी जिला जयपुर में माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन पूर्ववत पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता ढाका, का अन्तरिम समायोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जुनिया, (JUNIYA) केकड़ी जिला अजमेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त समायोजन पूर्णतया माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/नवाब सिंह/14972/2019 दिनांक 21.10.2019  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/अजमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/अजमेर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बस्सी, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)